


प्रेषक,

अरुण सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।



सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2009

विषय:- 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-323/निदे0म0क0/निरा0म0पें0/2009-10, दिनांक 28.08.09 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- भारत सरकार द्वारा 40-64 आयु वर्ग की महिलाओं को विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलायें वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधवाओं की पेंशन तभी रोकी जाये, जब उनका नाम वृद्धावस्था पेंशन के तहत पात्र पाये जाने पर स्वीकार कर लिया जाये। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।